प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जो ऐसी आयों के संबंध में है जो कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

उक्त खंड के उपखंड (ङ) की मद (अ) उक्त धारा के खंड (23ग) के उपखंड (iv) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी अन्य निधि या संस्था की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी।

उक्त उपखंड (ङ) की मद (आ) उक्त खंड (23ग) के उपखंड (v) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्णतः लोक धार्मिक प्रयोजनों के लिए या पूर्णतः लोक धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए किसी न्यास या संस्था की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय, जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए, कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी।

उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी विहित करने के लिए बोर्ड को सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जो कतिपय परिस्थितियों में कटौती योग्य न होने वाले व्ययों या संदायों से संबंधित है।

नई उपधारा (3) का परंतुक यह उपबंध करता है कि इस उपधारा के अधीन कोई नामंजूरी नहीं की जाएगी और कोई संदाय कारबार या वृत्ति का लाभ या अभिलाभ वहां नहीं समझा जाएगा जहां बीस हजार रुपए से अधिक की राशि का कोई संदाय ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन जो विहित की जाए, बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा अन्यथा किया जाता है।

यह प्रस्ताव है कि बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे मामले और परिस्थितियां विहित करने के लिए सशक्त किया जाए जिनके अधीन नामंजूरी नहीं की जा सकेगी या संदाय को कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।

विधेयक का खंड 22 अवसंरचना, विकास, आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है।

खंड 22 के उपखंड (iii) की मद (इ), धारा 80झक की उपधारा (4) में एक नया खंड (vi) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे क्रास कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने और उसके प्रचालन का कारबार करने वाले उपक्रम द्वारा उक्त धारा के अधीन कटौती का दावा करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित खंड (vi) का उपखंड (ख) यह शर्त अधिकथित करता है जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित उपक्रम ऐसी कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं।

प्रस्तावित खंड (vi) का उपखंड (ङ) यह उपबंध करता है कि उपक्रम को किसी ऐसी अन्य शर्त को, जो उक्त धारा के अधीन कटौतियों का दावा करने के लिए बोर्ड द्वारा विहित की जाए, भी पूरा करना होगा।

बोर्ड को नियमों द्वारा उक्त धारा के अधीन कटौतियों का दावा करने के प्रयोजनों के लिए उपक्रम द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त शर्तों का उपबंध करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 24, आय-कर अधिनियम में, विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, होटल और कन्वेंशन केंद्रों के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती के लिए उपबंध करने हेतु एक नया खंड 80झघ अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (iv) में यह उपबंध है कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ संपरीक्षित रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में फाइल करेगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं।

बोर्ड को नियमों द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए संपरीक्षित रिपोर्ट के प्ररूप और विशिष्टियां विहित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम की धारा 115बग का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों के मूल्यांकन से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट साधारण शेयरों का मूल्य कर्मचारी से वास्तविक संदाय या वसूली से घटाकर आया उसका उचित बाजार मूल्य है। उक्त खंड का स्पष्टीकरण "उचित बाजार मूल्य" को उस ढंग के अनुसार अवधारित मूल्य के रूप में परिभाषित करता है जो विहित किया जाए।

बोर्ड को नियमों द्वारा उचित बाजार मूल्य अवधारित करने का ढंग विहित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 36, आय-कर अधिनियम में दो नई धाराएं, धारा 139ग और धारा 139घ अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे बोर्ड को विवरणी के साथ दस्तावेज, आदि देने से छूट देने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके। धारा 139घ बोर्ड को इलेक्ट्रानिक प्ररूप में विवरणी फाइल करने के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक के खंड 37 आय-कर अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण से पूर्व जांच से संबंधित है।

विधेयक के खंड 37 का उपखंड (ख) उक्त धारा की उपधारा (2घ) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी विशेष संपरीक्षा के व्यय मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अवधारित किया जाएगा जो विहित किए जाएं।

बोर्ड को ऐसे व्यय अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 86 निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्यांकन से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा, आयातित माल और निर्यातित माल के संव्यवहार मूल्य का अवधारण करने के लिए सशक्त करता है। प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा ऐसे माल का मूल्य अवधारित करने के लिए भी सशक्त करती है, जहां आयातित या निर्यातित माल का कोई विक्रय नहीं होता है या जहां माल का संव्यवहार मूल्य अवधारित किए जाने योग्य नहीं है।

विधेयक का खंड 103 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जो शुल्क अपवंचन आदि के लिए शास्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रतिषिद्ध माल के प्रवर्ग, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करती है, जिससे संबंधित अपराध दंडनीय होंगे।

विधेयक का खंड 125 सेवा कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त खंड का उपखंड (इ) विवरणियां देने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (1) केंद्रीय सरकार को निर्धारिती द्वारा संदत्त किए जाने के लिए दो हजार रुपए से अनधिक की विलंब फीस की रकम विहित करने के लिए, यदि विवरणी फाइल करने में कोई विलंब हुआ हो, केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त रूप से सशक्त करती है।

उक्त खंड का उपखंड (ए) कठिनाइयों को दूर करने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 95 में एक नई उपधारा (1घ) अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित उपधारा केंद्रीय सरकार को ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है जो प्रस्तावित विधान द्वारा सम्मिलित की गई किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण में उद्भूत हो। उक्त उपधारा का परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा कोई आदेश, विधेयक को अनुमति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के परे नहीं किया जाएगा।

खंड 8, खंड 12, खंड 92 और खंड 111 केंद्रीय सरकार को कतिपय मामलों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। उक्त खंडों द्वारा नए उपबंधों से प्रतिस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्यमान उपबंधों के अधीन शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए पहले ही उपबंध किया गया है।

2. वे सभी विषय, जिनकी बाबत विधेयक के उपरोक्त उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और इसीलिए उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

3. अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।